मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय कोयला व खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित खदानों के सम्मान समारोह में 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री व केन्द्रीय खान मंत्री ने 7 व 5 स्टार माइन्स को सम्मनित किया

भारतीय खान ब्यूरो खनन गतिविधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक उत्तर दायित्व के आधार पर खदानों की रेटिंग करता है

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास से 2024-25 में राजस्थान की रॉयल्टी में गत वर्ष के मुकाबले 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।**
- **बैठक में मुख्यमंत्री व केन्द्रीय खान मंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर खान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की।**

जयपुर, 7 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनन क्षेत्र के विकास के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा आधारभूत संरचना के विस्तार के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान खनन में अग्रणी बने। उन्होंने उद्यिमयों का आ ान करते हुए कहा कि राजस्थान में लोहे से लेकर सोने तक खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वे प्रदेश में निवेश करें, राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है।

शर्मा एवं केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे थे।

समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार रेटिंग प्रणाली खनन गतिविधियों की मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है। उन्होंने भारतीय खान ब्यूरो द्वारा पुरस्कृत खदानों के प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान में भी खदानों का इस तरह से मूल्यांकन कर रेटिंग देने का नवाचार किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2023-24 में माइनिंग रॉयल्टी के रूप में राजस्व, 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ, महज 7 हजार 460 करोड़ रुपये रहा। जबकि हमारे प्रयासों से 2024-25 में रॉयल्टी राजस्व 9 हजार 228 करोड़ रहा, जो गत वर्ष से 24 प्रतिशत अधिक था। यह रॉयल्टी राजस्व एक रिकॉर्ड है।

समारोह में मुख्यमंत्री शर्मा और केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में खनन से राजस्व अर्जन के साथ, खनन और पर्यावरण के मध्य संतुलन पर भी विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर खान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में असीम खनिज संपदा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान की जाए। साथ ही, नीलामी प्रक्रिया में तेजी लायी जाए।

केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहां बहुमूल्य एवं दुर्लभ खनिजों की व्यापक संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ खनिजों के सुनियोजित एवं तीव्र खनन पर विशेष बल दे रहे हैं।

इस दिशा में राजस्थान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

'अशोक गहलोत सुर्खियों में रहना बंद कर, धरातल पर आयें'

संसदीय कार्यमंत्री जोगा राम पटेल ने कहा कि गहलोत की पार्टी का अध्यक्ष ही उनकी बात खारिज कर रहा है

- **पटेल ने कहा कि गहलोत को समझना चाहिये कि समय के साथ सभी किनारे आते हैं। उन्हें इसे सहन करना चाहिये व अपनी पार्टी के नये लोगों को आशीर्वाद देना चाहिये।**

जोधपुर, 7 जुलाई (कासं)। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुर्खियों में रहना बंद करके धरातल पर आना चाहिए, क्योंकि उनके बयानों को उनकी पार्टी के अध्यक्ष ही खारिज कर रहे हैं। पटेल ने सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने के षड़यंत्र संबंधी बयान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही।

पटेल ने कहा कि वे कहते हैं, सीएम हट जाएंगे, जबकि उनके नेता गोविंद डोटासरा कहते हैं कि सरकार पांच साल चलेगी, गहलोतजी के पास कोई शिगूफा आया होगा। ऐसे में उनको सुर्खियों में रहना बंद करके धरातल पर आना चाहिए। पटेल ने कहा कि गहलोत ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ समझौते के लिए बात की है, जिसका जवाब केन्द्रीय मंत्री ने दिया है, क्योंकि एक पुत्र के मन में अपनी मां के अपमान के प्रति स्वभाविक पीड़ा होती हैं। पटेल ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि उनको यह समझना चाहिए कि समय के साथ धीरे-धीरे सभी लोग किनारे आते हैं, इसलिए इसे सहन करना चाहिए। अपनी पार्टी के नए लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए।

पटेल ने कहा कि प्रदेश में सीएम बदलने की कोई कवायद नहीं है। हमारे नेतृत्व ने साफ कहा है कि हमारे यहां सीएम पांच साल के लिए बनता है, इसलिए सीएम बदलने का सवाल ही नहीं हैं। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास हो रहा है। इस कारण पीएम खुद तीन दौरे लगातार कर चुके हैं, इसलिए भजनाल शर्मा पूरे पांच साल काम करेंगे और प्रदेश का विकास करते रहेंगे और अगले टर्म में भी सीएम भजनलाल शर्मा ही होंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के बीच मानहानि के मामले को लेकर चल रहे विवाद पर पटेल ने कहा कि अशोक गहलोत ने रिपोर्ट को देखकर उनकी माताजी का नाम लिया, यदि ऐसा है तो वे उसे सामने रखें। पटेल ने दावा किया कि जो रिपोर्ट जांच एजेंसी एसओजी ने कोर्ट में पेश की है, उसमें, ऐसी किसी भी रिपोर्ट में, शेखावतजी की माताजी सहित किसी सदस्य का नाम नहीं है। सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते आरोप लगाए थे। अब कह रहे हैं कि समझौता कर लो। इसके लिए शेखावत ने इनकार किया है।

मंत्री पटेल ने हनुमान बेनीवाल के उस आरोप का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के नेता बिना अधिकार सरकारी आवास में रह रहे हैं। पटेल ने कहा कि हमारा कोई भी नेता या विधायक बिना अधिकार के सरकारी आवास में नहीं रह रहा है। उनको क्या है कि विधायक नहीं होते हुए भी सरकारी आवास पर कब्जा जमाए बैठे हैं। वे किस हैसियत से वहां रह रहे हैं। अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि नाम हैं तो सूची बताएं।

गुर्जर आरक्षण को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडलीय कमेटी पर पटेल ने कहा कि सभी विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवा ली है। अब समाज के वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे, आंदोलन में शामिल लोगों से मिलेंगे। उनकी सुनवाई कर उनका पक्ष जानेंगे। उनको जो न्यायोचित हक मिलना चाहिए, वह दिलाने का प्रयास करेंगे। इससे नाराजगी दूर होगी।

मेवाड़ की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देखना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि ऐसी रैलियों और मीटिंगों से पार्टी को फायदा हो? या फिर उनका काम सिर्फ गहलोत और उनके करीबी लोगों को खुश करना ही है?

मेवाड़ की 28 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी, जबकि सी. पी. जोशी खुद को इस इलाके का नेता मानते हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस रैली का मकसद आदिवासियों को पार्टी से जोड़ना नहीं था, बल्कि दिल्ली की राजनीति में पैर जमाने तथा वहाँ कोई पद पाने की कोशिश थी। जोशी दिल्ली आकर के. सी. वेणुगोपाल, माणिकम टैगोर और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अन्य लोगों से मिले, ताकि दिल्ली में कोई पद मिल सके। शायद इसी वजह से पवन खेड़ा को बुलाया गया, जबकि वे आदिवासी नहीं हैं।

अपना पद बचाने के लिए, रंधावा अब वेणुगोपाल के करीबी हो गए हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति को लेकर उनकी भूमिका और ज्यादा विवाद पैदा कर रही है।

सैनेटरी पैड वाले राहुल के वीडियो पर दिल्ली में भी एफआईआर

- **बिहार में सैनेटरी पैड पर राहुल गांधी का फोटो लगाने सम्बंधी फेक वीडियो पर अब तक तीन शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।**

नयी दिल्ली, 07 जुलाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सैनेटरी पैड वीडियो से जुड़े विवाद को लेकर यहां एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसे मिलाकर, देशभर में इस मुद्दे में अब तक तीन शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।

युवा कांग्रेस के अनुसार, यह शिकायत संगठन के अध्यक्ष उदय भानु चिब, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरु, लीगल सेल के चेयरमैन रूपेश सिंह भदौरिया के नेतृत्व में यहां मंदिर मार्ग पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। युवा कांग्रेस लीगल सेल दिल्ली के अध्यक्ष विवेक पुनिया द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से एक समानांतर शिकायत भी प्रस्तुत की गई है। इससे पहले रविवार को तेलंगाना तथा कर्नाटक में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक एफआईआर तेलंगाना राज्य लीगल सेल अध्यक्ष अधिवक्ता जे. शिवा चरण रेड्डी और समन्वयक अधिवक्ता गुडूर निखिल रेड्डी के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ दर्ज की गई है। कर्नाटक में, बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

थप्पड़ कांड...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि प्रकरण साधारण मारपीट का है, जबकि उसे हत्या का प्रयास का बताकर रिपोर्ट दर्ज की गई। बूथ पर निर्वाचन आयोग की ओर से लगाए गए सीसीटीवी और मौके पर मौजूद तहसीलदार के मोबाइल से की गई रिकॉर्डिंग में एसडीएम का गला घोंटने जैसा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसके अलावा एसडीएम की मेडिकल रिपोर्ट में भी न तो गले पर और ना ही शरीर के किसी अन्य हिस्से पर ऐसी कोई प्राणघातक चोट मिली है। मामले में पुलिस ने न सिर्फ बीएनएस की धारा 109 (1) के तहत हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया। वहीं इसी धारा में आरोप पत्र भी पेश कर दिया। दूसरी ओर अदालत ने भी इसी धारा में याचिकाकर्ता पर चार्ज फ्रेम कर दिए। जबकि प्रकरण ज्यादा से ज्यादा साधारण मारपीट का ही बनता है। इसलिए उसके खिलाफ किए गए चार्ज फ्रेम आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

जज के पद पर नियुक्ति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति 2021 से लंबित है, के प्रकरण ने न्यायिक स्वतंत्रता पर कार्यपालिका की लंबी छाया को उजागर किया है। किरपाल का आरोप है कि उनकी नियुक्ति उनकी यौन सम्बंधी प्राथमिकताओं और उनके साथी की राष्ट्रीयता पर उठाई जा रही आपत्तियों के कारण रुकी हुई है।

किरपाल ने कहा है कि इस देरी के बावजूद, वे अपनी सहमति वापस नहीं लेंगे: "मैं अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करूँगा। जब नियुक्तियों की बात होती है, तो यह सिर्फ दो पक्षों, कोलीजियम और सरकार की बात नहीं होती, बल्कि न्यायालयों की भी बात होती है। और अगर न्यायालय कुछ नहीं कर रहे, तो कोई और क्या कर सकता है?"

दातार और मजूमदार वकीलों की उस निरंतर बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने व्यर्थ इंतजार किया। इनमें से एक वकील रामास्वामी नीलकंदन का नाम चार अन्य वकीलों के साथ जनवरी 2023 में अनुशंसित किया गया था। उन चार वकीलों को फरवरी में नियुक्त कर दिया गया, लेकिन नीलकंदन, जो ओबीसी वकील हैं, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं।

इसी तरह से, सुभाष उपाध्याय, जिनका नाम अप्रैल 2023 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए अनुशंसित किया गया था, और अरुण कुमार, जिनका नाम मई 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए अनुशंसित किया गया था, दोनों अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं।

वकील अमित सेठ का नाम अक्टूबर 2023 में सरकार को भेजा गया था, उनका प्रकरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए पांच सदस्यीय सूची में से एकमात्र लंबित प्रकरण है।

अब भी 27 वकील अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें से चार महिलाएं हैं - शमीमा जहां (गुवाहाटी हाईकोर्ट, जनवरी 2024), श्रीजा विजयलक्ष्मी (अप्रैल 2024), ताजल वाशी (गुजरात हाईकोर्ट, अक्टूबर 2024), और शीतल मिर्धा (राजस्थान हाईकोर्ट, मार्च 2025)।

'3 से 5 करोड़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की रिश्वत निजी संस्थानों से ली गई थी, ताकि एनएमसी की मान्यता मिल सके, चाहे मेडिकल बुनियादी ढांचा कैसा भी हो।

डॉ. मेहरोत्रा ने कहा, "यह कहानी स्वयं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर शुरू हुई, जहाँ अधिकारी मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी से संबंधित संवेदनशील फ़ाइलों को एक्सेस और साझा करते हैं।" ये दस्तावेज, जिसमें आंतरिक नोटिंग, निरीक्षण कार्यक्रम और पहचान की जानकारी होती है, उन्हें गुपचुप तरीके से मोबाइल के माध्यम से निजी एजेंटों को भेजा जाता है, जो देशभर के मेडिकल कॉलेजों के लिए काम करते हैं, और यह सब नकदी के बदले किया जाता है।

उन्होंने कहा, इस प्रारंभिक जानकारी से कॉलेजों को निरीक्षणों का आयोजन कराने में सहायता मिलती है, जिसमें नकली फैकल्टी, प्रॉक्सी मरीज और जाली बायोमेट्रिक उपस्थिति दिखाई जाती थी, जिससे इन्हें एनएमसी से अनुकूल रिपोर्ट मिलती थी।

डॉ. मेहरोत्रा ने पुष्टि की, निरीक्षण टीमों को नियमित रूप से रिश्वत दी जाती थी, और कुछ मामलों में, अधिकारियों ने कॉलेजों को जाली दस्तावेज व फर्जी योग्यता तय करने में मदद तक दी, ताकि इन अधिकारियों द्वारा नियामक कार्यवाही पूरी की जा सके और इन कॉलेजों को मान्यता मिल सके।

बिहार मतदाता सूची पर चुनाव आयोग के खिलाफ सुनवाई 10 जुलाई को

सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का शीघ्र सुनवाई का अनुरोध स्वीकार किया

- **बिहार में विधानसभा से पहले मतदाता सूचि के विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले का राजनीतिक दलों के अलावा कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी विरोध कर रही हैं।**

नयी दिल्ली, 07 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि बिहार की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को विचार होगा।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस मामले में शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि अदालत गुरुवार को इस मामले में विचार करेगी।

बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाये जा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा, कई स्वयंसेवी संस्थाएं पुनरीक्षण के लिए निर्धारित समय समेत, अन्य व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए आयोग के इस फैसले का खुलकर विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के गत 24 जून को जारी उक्त आदेश को रद्द कर दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज कुमार झा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले, सीपीआई के महासचिव डी राजा, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद सरफराज अहमद और भाकपा (एमएल) के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं। इसी प्रकार, गैर सरकारी संगठनों - एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीयूसीएल और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव समेत अन्य ने इस संबंध में चुनाव आयोग के 24 जून, 2025 के फैसले की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ-साथ, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21 ए के प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि इस आदेश को रद्द नहीं किया गया तो, मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना, लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि आरोपी बाहुबली और प्रभावशाली है। धौलपुर में केस की सुनवाई होने से याचिकाकर्ता के साथ-साथ गवाहों की जान-माल को भी खतरा है। आरोपी मलिंगा के खिलाफ अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। ऐसे में केस को धौलपुर से बाहर भेजा जाए।

एसआई 2021 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भर्ती को फिलहाल निरस्त नहीं करने की बात कही है और इसे मुख्यमंत्री स्तर पर भी सहमति दी जा चुकी है। इस याचिका में सब कमेटी के इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में याचिका को सारहीन मानते हुए खारिज किया जाए। यदि याचिकाकर्ता सब कमेटी के निर्णय को चुनौती देना चाहे तो उसके लिए अलग से याचिका दायर कर सकता है।

इस दौरान अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर मामला इतने दिनों तक लंबित क्यों रहा। इसके साथ ही अदालत में पहले की राय को लेकर सारी नोटशीट पेश क्यों नहीं की गईं। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्रावली का परीक्षण चल रहा था और मामले में पूरी पारदर्शिता से निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि भर्ती रद्द करने की मांग आज भी जीवित है। कोर्ट की ओर से बार-बार कहने के बाद ही भर्ती निरस्त नहीं करने का निर्णय पेश किया गया है। ऐसे में याचिका को सारहीन नहीं कहा जा सकता।

दलाई लामा के जन्म...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आतंकवादियों के खिलाफ किया गया था, के दौरान भारत की सैन्य स्थिति की रियल-टाइम जानकारी मिल रही थी।

भारत और चीन के बीच, दलाई लामा और भारत में उनकी मौजूदगी को लेकर, अकसर कूटनीतिक टकराव होता रहा है। भारत ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार को शरण दी हुई है।

दलाई लामा 1959 में चीन से भागकर भारत आए थे, जब चीनी सेना ने तिब्बत में घुसकर नियंत्रण ले लिया था। तब से भारत ने उन्हें और उनकी निर्वासित सरकार को शरण दी है, जिससे चीन को हमेशा आपत्ति रही है।

अब, जब दलाई लामा अपने जीवन के नौवें दशक में प्रवेश कर चुके हैं, तो उनके उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। दलाई लामा ने हमेशा कहा है कि उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का पुनर्जन्म तय करने का अधिकार केवल उनके ट्रस्ट को है, जबकि चीन का कहना है कि अगला दलाई लामा बीजिंग की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही चुना जाएगा।

कभी-कभी दलाई लामा ने यह भी संकेत दिया कि यह परंपरा खत्म की जा सकती है और आगे कोई दलाई लामा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी राय बदली और अब यह माना जा रहा है कि दलाई लामा की संस्था उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहेगी।

बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार, दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है और नए दलाई लामा की पहचान एक पारंपरिक और रहस्यमयी प्रक्रिया के तहत की जाती है, जिसे सदियों से अपनाया जा रहा है। लेकिन चीन की सरकार का कहना है कि उच्चतम लामाओं का चयन उसकी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा मंजूर की गई एक सरकारी प्रक्रिया से ही होगा।

इसमें सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे कि लॉटरी पद्धित। भावी लामाओं के नाम गोल्डन अर्न (सोने के घड़े) में रखे जाते हैं, जो कि कम्युनिस्ट सरकार द्वारा दिया गया होता है। इस प्रक्रिया ने तिब्बती बौद्धों के बीच भारी नाराज़गी और नफ़रत पैदा की है।

भविष्य के दलाई लामा की पहचान पूर्व में पुराने पारंपरिक तरीकों से अनुयायियों के बीच से की जाती थी। तथापि, जैसे ही एक लड़के को दलाई लामा घोषित किया गया, उसे बीजिंग की सरकार ने अगवा कर लिया और तब से उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

शताब्दी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के संगठन के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सोमवार को यहां केशव कुंज में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में हिंदू समाज में धर्म जागरण और बुराइयों को दूर करने को लेकर देशभर में मंडल और गांव स्तर पर एक लाख से अधिक जगहों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसी तरह खंड और नगर में 11,360 स्थानों पर सामाजिक सद्भाव बैठकें और 924 जिलों में प्रमुख नागरिक गोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम आगामी दो अक्टूबर, विजयदशमी से शुरू होंगे और एक साल तक चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया जाएगा।

तहव्वुर राणा ने माना कि वह पाक सेना के बेहद करीब है

एनआईए की पूछताछ में राणा एक एक करके कई राज उगल रहा है

- **राणा ने बताया कि रावल पिंडी के आर्मी मैडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद उसे पाकिस्तान की सेना ने कई महत्वपूर्ण मिशनों पर अलग-अलग देशों में भेजा था।**

नई दिल्ली, 07 जुलाई। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसी साल अप्रैल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी में बंद मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा से गहन पूछताछ की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में जांच के दौरान कई जानकारियां पहले से ही रिकॉर्ड में थीं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि राणा अभी भी मानसिक रूप से अपने दिए हुए पुराने जवाबों पर टिका हुआ है। पुलिस को वह जानकारियां तो दे रहा है, लेकिन उसके बातचीत के तरीके से उसकी कट्टरपंथी विचारधारा भी झलकती है।

अपने बयान में राणा ने दावा किया कि वह पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद व्यक्ति था। उसने बताया कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के दौरान उसे सऊदी अरब में एक गुप्त मिशन पर भी भेजा गया था, जिससे पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के लिए उसके रणनीतिक महत्व का पता चलता है।

राणा ने बताया कि उसने 1986 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद उसे क्वेटा में कैप्टन (डॉक्टर) के पद पर नियुक्त किया गया। उसने सिंध, बलूचिस्तान, बहावलपुर और सियाचिन-बालोतरा सेक्टर सहित, पाकिस्तान के कई संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में भी काम किया।

पूछताछ के दौरान, राणा ने अब्दुल रहमान पाशा, साजिद मीर और मेजर इकबाल को जानने की बात भी स्वीकार की। ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक हैं और माना जाता है कि 26/11 मुंबई हमलों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राणा कई भाषाओं जैसे- हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और पश्तो का जानकार है।

वहीं, क्राइम ब्रांच को दिए अपने बयान में राणा ने डेविड हेडली के बारे में भी कई खुलासे किए। उसने बताया कि 2003 और 2004 के बीच हेडली ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ तीन ट्रेनिंग कोर्स में हिस्सा लिया था, हालांकि उसे सभी कोर्स के नाम याद नहीं हैं।

जब उससे पूछा गया कि मुंबई में पहला इमिग्रेशन सेंटर खोलने का विचार किसका था, तो राणा ने दावा किया कि यह पूरी तरह से उसका अपना विचार था, हेडली का नहीं। हेडली को भेजे गए पैसों के बारे में राणा ने कहा कि यह रकम कारोबारी खर्च के तौर पर भेजी गई थी। राणा ने यह भी स्वीकार किया कि मुंबई में ऑफिस होने के बावजूद क्लाइंट हासिल करने में चुनौतियां आईं।

अपने पिछले सैन्य करियर के बारे में बताते हुए राणा ने बताया कि सियाचिन में एक असाइनमेंट के दौरान, उसे पल्मोनरी एडिमा हो गया था, जिसकी वजह से उसे लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहना पड़ा। इस लंबी अनुपस्थिति के कारण उसे भगोड़ा घोषित कर बर्खास्त कर दिया गया।

पुलिस ने यह भी बताया कि डेविड हेडली के कोर्ट में दिए हुए बयान के बारे में भी राणा की स्टडी अच्छी है।

'जेन स्ट्रीट की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रूप में काम करती हैं। सेबी ने कहा है कि जेन स्ट्रीट की बड़े पैमाने पर खरीदारी ने खुदरा निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रभावित किया, जिससे बाजार में हेरफेर हुआ।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908